माता-पिता/सास-ससुर एवं 'संबंधी' की परिभाषा के अंतर्गत पंजीकृत अन्य आश्रित जो प्रति व्यक्ति खर्च का भुगतान करते हैं , उनके सीएचएसएस सुविधा के पुनर्वैधीकरण/घोषणा के लिए आवेदन प्रपत्र

APPLICATION FORM FOR REVALIDATION/DECLARATION OF CHSS FACILITY OF PARENTS/
PARENTS-IN-LAW AND OTHER DEPENDENTS REGISTERED UNDER DEFINTION "RELATIVE"
PAYING PER-CAPITA EXPENDITURE

·	
मुख्य लाभार्थी का नाम	
Name of the Prime Beneficiary	
पदनाम / Designation	
अनुभाग/प्रभाग/इकाई/Section /Division/Unit	
दुरध्वनी क्रमांक /Telephone Number	
सं.सं.सं. एवं कर्मचारी सं. / CC No. & Employee No	
मुख्य हितग्राही की अं. स्वा. से. यो. संख्या	
CHSS No. of Prime Beneficiary/Dispensary	
वेतन बैंड + ग्रेड वेतन	
Pay in Pay Band+Grade Pay	
स्वयं एवं आश्रितों का वर्तमान पता	राशन कार्ड का पता
Present Address of Self and Dependents	Address on the Ration Card
*	

जिन आश्रितों [माता-पिता/सास-ससुर/संबंधी] के कार्डों का पुनर्वैधीकरण करवाना है उनका विवरण: Particulars of Dependents [Parents/Parents-in-law/Relative] requiring revalidation:

नाम	संबंध/	जन्म तारीख	व्यवसाय एवं आय	अभ्युक्तिया
Name	v v	Date of	Occupation &	Remarks
	Relationship	Birth	Income	
	***	e .		

"मैं एतदद्वारा घोषणा करता हूं कि ऊपर उल्लेखित मेरे पिता/माता/ससुर/सास/संबंधी मेरे साथ रह रहे हैं और मेरे ऊपर अश्रित हैं। ऊपर दिया गया विवरण सही है और ऐसा ही मेरे वैयक्तिक फाईल और सेवा पुस्तिका आदि के रिकार्ड में है। जैसे ही मेरे परिवार का कोई सदस्य इस लाभ के लिए अपात्र हो जाता है वैसे ही मैं आयुर्विज्ञान प्रभाग को सूचित करूंगा और सीएचएसएस कार्ड वापस कर दूंगा। यदि किसी सदस्य के बारे में कोई सूचना गलत पाई जाती है तो उस सदस्य का नाम तुरंत काट दिया जाएगा और उसके उपचार पर किया गया संपूर्ण खर्च वापस लिया जाएगा और इसके अतिरिक्त मेरे ऊपर अनुशासनिक कारवाई की जाएगी।"

"I hereby declare that my *father/mother/father-in-law/mother-in-law/relative mentioned above is/are staying with me and dependent upon me. Particulars furnished above are correct and are as recorded in my Personal File and Service Book etc. I shall notify Medical Division as soon as any member of my family becomes ineligible for the benefit and surrender the CHSS card. In case any information in respect of any member is found to be incorrect, the member's name will be cancelled forthwith, and entire cost on the treatment shall be recovered and in addition I will be liable for disciplinary action".

मुख्य लाभार्थी के हस्ताक्षर और तारीख :	
Signature of Prime Beneficiary with date :	

कार्ड "एन" (पिता) का पुनर्वैधीकरण किस तारीख तक के लिए किया गया	
Card "N" [Father] is revalidated upto	
कार्ड "एम" (माता) का पुनर्वैधीकरण किस तारीख तक के लिए किया गया	
Card "M" [Mother] is revalidated upto	
कार्ड "एक्स" (ससुर) का पुनर्वेधीकरण किस तैं।रीख तक के लिए किया गया	
Card "X" [Father-in-law] is revalidated upto	
कार्ड "वाई" (सास) का पुनर्वैधीकरण किस तारीख तक के लिए किया गया	
Card "Y" [Mother-in-law] is revalidated upto	443
कार्ड "पी" () का पुनर्वेंधीकरण किस तारीख तक के लिए किया गया	
Card "P" [] is revalidated upto	

स.का.अ, सीएचएसएस/ संबंधित प्रभाग के स.का.अ./प्रशा.अधि.II के हस्ताक्षर और तारीख	
Signature of APO, CHSS/ APO/AO-II, of the concerned Divn. With date	

पुनवैंधीकरण के समय प्रस्तुत दस्तावेज Documents to be produced at the time of Revalidation :

- 1. नवीनतम आय प्रमाणपत्र/पेंशन पासबुक आदि की मूल प्रति और जिरॉक्स प्रति Latest Income certificate/Pension Pass Book etc. original with Xerox copy.
- 2. लाभार्थी के लिए नए कार्ड जारी करने हेतु फोटो, यदि पुनवैंधीकरण के लिए जगह नहीं है। Photograph of the beneficiary, for issue of new card where there is no space for revalidation.